न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर0 के0 जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर
(आर0सी0एम0एस0 नं0 2019/00057)
प्रकरण संख्या :– 33/2019
व उनवानी प्रकरण :–

1. रामरूप पुत्र राजहंस शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गढ़ी टिड़ावली थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर———————————————————प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर ———————————————————अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थिति:–
1. प्रार्थी की ओर से :– श्री नेमीचंद रावत एडवोकेट।
2. अप्रार्थी की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।

निर्णय दिनांक 31.10.2019

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री रामरूप पुत्र राजहंस शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गढ़ी टिड़ावली थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 08/1980 जो कि दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 01.01.2018 को अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 3182 दिनांक 13.08.2018 से प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश कमांक 3568–72 दिनांक 27.08.2018 के द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 08/1980 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 27.08.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17.07.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश कमांक 3568–72 दिनांक 27.08.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुए पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 17.07.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अभिभाषक नेमीचन्द रावत अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुई। अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के सम्बन्ध में पत्र कमांक 532 दिनांक 07.08.2019, 590 दिनांक 02.09.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 3329 दिनांक 19.08.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी ने शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध थाना राजाखेड़ा पर मु0 नं0 323/2010 धारा 379, 411, 120 बी भा0 द0 स0 व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दर्ज है। जिसका चालान नम्बर 90 दिनांक 31.05.2011 पेश न्यायालय होने के पश्चात् माननीय न्यायालय एम0जे0एम0 राजाखेड़ा द्वारा प्रार्थी को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा होना पाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 08/80 को समयावधि में नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 3329 दिनांक 19.08.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के विरूद्ध थाना राजाखेड़ा पर मु0 नं0 323/2010 धारा 379, 411, 120 बी भा0 द0 स0 व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दर्ज है। जिसका चालान नम्बर 90 दिनांक 31.05.2011 पेश न्यायालय होने के पश्चात् माननीय न्यायालय एम0जे0एम0 राजाखेड़ा द्वारा प्रार्थी को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में मु0 नम्बर 323/2010 अन्तर्गत धारा 379, 411, 120 बी भ0 द0 स0 व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का हवाला दिया गया है उक्त प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। वर्ष 2010 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता आ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि उक्त अवधि में प्रार्थी द्वारा शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है । प्रार्थी का चाल चलन अच्छा रहा है। शस्त्र दिनांक 27.3.2018 से पुलिस थाना राजाखेडा में जमा है। प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र थाने में जमा है जिसके खराब होने की आशंका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 08/1980 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना राजाखेड़ा में पूर्व में मुकदमा दर्ज हो चुका है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग कर सकता हैं। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 27.08.2018 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । प्रार्थी ने समयावधि में अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। प्रार्थी का शस्त्र दिनांक 27.3.2018 से थाने में जमा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 323/2010 दर्ज होना अंकित किया है। जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। उक्त प्रकरण का निस्तारण पूर्व में ही हो चुका है। वर्ष 2010 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता चला आ रहा है। वर्ष 2010 के पश्चात् प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हैं। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी रामरूप पुत्र राजहंस शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गढ़ी टिड़ावली थाना राजाखेड़ा के आर्म्स अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश कमांक 3568–72 दिनांक 27.08.2018 निरस्त किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 08/80 को दिनांक 31.12.2020 तक नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर